राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट
एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–05

क्रमांकः–लीगल/एएण्डएम/343/2018/1
दिनांकः– 8 अगस्त 2018

कार्यालय–आदेश

विषयः– विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में पारित निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के संबंध में प्रि–लिटिगेशन कमेटी के गठन एवं प्रकिया बाबत्।

यह प्रकाश में आया है कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में पारित निर्णयों/आदेशों के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय यथा उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय/ट्रिब्यूनल/आयोग में अपील प्रस्तुत किये जाने के निर्णय निगम के स्तर पर गुणावगुण पर विचार किये बिना यान्त्रिक रूप से किये जाते है। ऐसी स्थिति में न्यायालयों के ऐसे निर्णयों/आदेशों के विरूद्ध भी अपील प्रस्तुत करने का निर्णय ले लिया जाता है जिसमें अपील करने की आवश्यकता नहीं होती है जिससे निगम का अत्यधिक समय व धन व्यय हो जाता है। अतः निगम प्रशासन द्वारा न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय यथा उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय/ट्रिब्यूनल/आयोग में अपील किये जाने हेतु निर्णय लिये जाने के लिए "प्रि–लिटिगेशन कमेटी" का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि उक्त निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील करने अथवा नहीं करने का निर्णय गुणावगुण पर लिया जा सके। "प्रि–लिटिगेशन कमेटी" का गठन, प्रकिया एवं बैठक निम्नानुसार होगीः–

(अ) गठन :–

प्रि–लिटिगेशन कमेटी में निम्नलिखित सदस्य नामित हैः–

1. सलाहकार (इन्फ्रा)
2. वित्तीय सलाहकार
3. सलाहकार (एएण्डएम)
4. संबंधित प्रकोष्ठ के नियन्त्रक अधिकारी
5. संबंधित इकाई कार्यालय के इकाई प्रभारी
6. वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक (विधि)–सदस्य सचिव

सलाहकार (इन्फ्रा), वित्तीय सलाहकार एवं सलाहकार (एएण्डएम) में जो भी वरिष्ठतम होंगे, वह प्रि–लिटिगेशन कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी की अभिशंषा निगम के प्रबन्ध निदेशक महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जावेगी।

(ब) प्रकियाः–

किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील करने के परीक्षण हेतु उस निर्णय/आदेश के संदर्भ में पूर्ण जानकारी एवं उससे संबंधित पूर्ण वादकरण की पृष्ठभूमि प्रि–लिटिगेशन कमेटी के समक्ष विचार में लाया जाना आवश्यक होगा। अतः समस्त इकाई प्रभारी एवं मुख्यालय के नियन्त्रक अधिकारी निम्नानुसार प्रकरण के तथ्य/विवरण आवश्यक रूप से सदस्य सचिव, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (विधि) को उपलब्ध करावेंगेः–

1. प्रकरण का विवरणः–
   (1) न्यायालय का नाम
   (2) प्रकरण की संख्या
   (3) प्रकरण का शीर्षक
   (4) निर्णय की दिनांक

2. प्रकरण का तथ्यात्मक तिथिवार विवरण।
3. निर्णय से संबंधित अधिनियम, नियम, अधिसूचना, परिपत्र, दिशा–निर्देश का विवरण।
4. प्रकरण में चाहा गया अनुतोष।
5. न्यायालय का निर्णय (यदि अपील में पारित निर्णय पर विचार किया जाना हो, तो प्रथम न्यायालय के निर्णय सहित) का विवरण।
6. प्रकरण से संबंधित पूर्ण वादकरण, यदि कोई हो, का विवरण।
7. समान प्रकरण में पूर्व में पारित निर्णय यदि कोई हो, तो उसका विवरण व उसके विरूद्ध अपील की गई अथवा नहीं, का विवरण।
8. पैरवी कर रहे अधिवक्ता का अपील करने अथवा नहीं करने के संबंध में स्पष्ट अभिमत।
9. संबंधित इकाई प्रभारी एवं मुख्यालय के नियन्त्रक अधिकारी की अपील करने अथवा नहीं करने के संबंध में स्पष्ट अभिमत।

उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित इकाई प्रभारी एवं मुख्यालय के नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पर्याप्त समय रहते प्रि–लिटिगेशन कमेटी के समक्ष प्रकरणों को प्रस्तुत करने हेतु सदस्य सचिव को भिजवावे जिससे कि समयबद्ध तरीके से प्रकरणों का निस्तारण करते हुए अपील करने अथवा ना करने के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

(स) बैठक

प्रि–लिटिगेशन कमेटी की बैठक आवश्यकतानुसार होगी तथा बैठक में की गई अभिशंषा को निगम के प्रबन्ध निदेशक महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावेगा। बैठक में लिये गये निर्णयों का रिकॉर्ड सदस्य सचिव के पास संधारित रहेगा।

समस्त इकाई प्रभारी एवं नियन्त्रक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।

यह प्रबंध निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

(विजयपाल सिंह)
सलाहकार (इन्फ्रा)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार / सलाहकार (एएण्डएम) / सलाहकार (इन्फ्रा)
2. सचिव, रीको
3. महाप्रबन्धक (सीपी) / (बीपी) / (सिविल) / (ईएम) / (वित्त–आईपीआई)
4. अतिरिक्त महाप्रबन्धक (सिविल) / (पीएण्डडी) / (एसईजेड)
5. वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक (पीएण्डडी) श्री डी. के. शर्मा
6. वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक (विधि)
7. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक (पीएण्डडी) श्री झा / श्री मेघानी
8. उपमहाप्रबन्धक (विधि) / प्रबन्धक (विधि)
9. उपप्रबन्धक (विधि) श्री एस. के. गुप्ता / श्री अजय / श्रीमती कुमावत
10. कनिष्ठ विधि अधिकारी श्रीमती निर्मला / श्रीमती सुगन्धा / सुश्री कोगल
11. वरिष्ठ नगर नियोजक
12. क्षेत्रीय प्रबन्धक (पीएण्डडी) श्री विश्वकर्मा
13. उपमहाप्रबन्धक (कम्प्यूटर) / कम्प्यूटर शाखा
14. समस्त इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि इनको भीः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय

(विजयपाल सिंह)
सलाहकार (इन्फ्रा)